



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाजायज गांजा की तस्करी करने वाले अभियुक्त को 140 दिवस के कारावास व ₹ 5000 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना जलालपुर में पंजीकृत मु०अ०सं०- 111/2024 धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय एडीजे/एफटीसी प्रथम कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त रामायण सिंह उर्फ भाईजी पुत्र कमल सिंह नि० ग्राम भेंडीडांडा थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुये 140 दिवस के कारावास व ₹ 5000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-  
एडीजीसी श्री प्रवीण  
कुमार भदौरिया



विवेचक-  
उ०नि० सत्यप्रकाश  
पाण्डेय



पैरोकार- थाना जलालपुर  
हे०का० मनोज कुमार